



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को क्रमशः 12 वर्ष व 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 36,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मार्ग न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मुआओसं- 1118/2013 धारा-363,366,370,376, भाओदोसं 0 व 06, 16/17 पोक्सो एकट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मार्ग न्यायालय विशेष पॉक्सो एकट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.दिनेश उर्फ भर्ड्यालाल उर्फ आजाद पुत्र रामबाबू श्रीवास निमोन-मोन-0-142 धोबिन पुलिया नौबस्ता, थाना नौबस्ता कानपुर नगर को धारा-363,366,376, भाओदोसं 0 व 06 पोक्सो एकट में दोषसिद्ध करते हुये 12 वर्ष के कठोर कारावास व 23,000/-रु 2.वीरेन्द्र पुत्र बसन्त लाल प्रजापति निमो-इगोहटा, थाना सुमेरपुर हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए धारा-363,366, भाओदोसं 0 व 17 पोक्सो एकट में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 13000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उमोनी जगदेव प्रसाद



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
हेमोका ज्ञानेन्द्र